	का पत्र दिया।
3-3-22	पत्रावली पेश। बकुलाल हाजीर। बाकी अभिभाषक नेस्त। जालीना पत्र प्रस्तुत कर प्रतिवादी 6 की मृत्यु होना बताया। जालीना पत्र की प्रति प्रतिवादी वकील को दिलाई। जालीना पत्र शामिल फाइल किया गया। पत्रावली वास्ते जा. पत्र जवाब दिनांक 7-3-22 को पेश हो।
7-3-2022	पत्रावली पेश। बकुलाल हाजीर। बकुलाल के प्रार्थना पत्रों व मूल वादिनी पत्र पर बहस सुनी गई। चूंकि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा-242 दिनांक 09-05-2016 के लगातार आदिनांक मार्फी समय अर्थात पर्याप्त समय बाकी अधिक समय तक प्रक्रियाधीन होना धारा-242 की अन्वार्य निषेधाज्ञा का अब गैर कानूनी नहीं रहता है। मूल वाद में प्रार्थना पत्रों का निस्तारण वाद मेरिट के आधार पर निस्तारण किया जाता है। अतः पत्रावली में वर्णित धारा-242 का अब कानूनी नहीं होने से इसी तौर पर पत्रावली खारीज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर मूल वाद के संलग्न हो।

उपखण्ड अधिकारी
बांसवाड़ा (राज.)

Scanned with CamScanner